

कार्यकारी सारांश

8,000 TPA से 19,000 TPA तक फेरो अलॉयज की उत्पादन क्षमता का विस्तारिकरण 1 x 6 MVA SAF के स्थान पर 1 x 9 MVA SAF एवं 19000 TPA फेरो अलॉयज निर्माण हेतु 1x 9 MVA SAF की नई युनिट का प्रस्ताव किया है, कुल फेरो अलॉयज विस्तार 8000 TPA ते 38000 TPA तक होगा।

प्रकल्प प्रस्तावक
मेसर्स मेटलिक अलॉयज
प्लॉट नं. 28 एवं 29, औद्योगिक विकास केंद्र,
फेज III रायपूर, छत्तीसगढ़

पोल्यूशन & इकॉलॉजी कन्ट्रोल सर्विसेस,
नागपूर

Accreditation no.: QCI/NABET/EIA/1720/RA0101
Extension Letter: QCI/NABET/ENV/ACO/21/2133 dated 17th November, 2021

कार्यकारी सारांश

1.0 प्रस्तावना

प्रस्तावित ब्राऊनफील्ड परियोजना EIA अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों को आकर्षित करती है और अनुसूची 3 (a) धातुकर्म उद्योग (फेरो और नॉनफेरस) की श्रेणी 'A' के अंतर्गत आती है। प्रस्तावक ने विस्तृत EIA अध्ययन के लिए संदर्भित शर्तों (TORs) हेतु फॉर्म-1, पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ 14 मार्च 2020 को एक ऑनलाइन आवेदन किया। प्रस्तावित विस्तार परियोजना के लिए विस्तृत EIA अध्ययन करने के लिए मानक ToR पत्र क्र. J-11011/67/2020-IA.II(I) दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा प्रदान किया गया था।

मेटलिक अलॉयज ने फेरो अलॉयज के निर्माण कार्य का विस्तार 8,000 TPA से 19,000 TPA तक करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें 1 x 6 MVA SAF के स्थान पर 1 x 9 MVA SAF एवं 19000 TPA फेरो अलॉयज निर्माण हेतु 1x 9 MVA SAF की नई युनिट का प्रस्ताव किया है, कुल फेरो अलॉयज विस्तार 8000 TPA से 38000 TPA तक होगा। (फेरो मैग्निज या सिलिका मैग्निज या पिग आयरन या फेरो सिलिकॉन)।

मेसर्स मेटलिक अलॉयज, प्लॉट नं. 28 एवं 29, औद्योगिक विकास केंद्र, फेज III रायपूर, छत्तीसगढ़ इनके विरुद्ध श्री सुधीर द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में माननीय NGT प्रमुख खंडपीठ बेंच, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज की थी।


यह मामला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, मूल आवेदन क्र. 694/2019 को 14.05.2020 को विचार में लिया गया था। मामले को CPCB, MoEF&CC एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा एक नई रिपोर्ट के लिए स्थगित किया गया था। यह मामला फिर से CPCB, MoEF&CC एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आवेदक के आपत्ति के एकत्रित रिपोर्ट ध्यान में रखते हुए आवेदन क्र. 644/2019 को 11 अगस्त 2021 को NGT द्वारा विचार में लिया गया था।

महोदय NGT, प्रमुख खंडपीठ बेंच, नई दिल्ली दिनांक 11.8.2021 द्वारा दिया गया आदेश निचे दिए अनुसार है। "हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। चूंकी स्वीकार्य रूप से, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, पक्षों को उपरोक्त मामले में

अपनी-अपनी दलीले उठानी पड़ सकती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात यदि कोई मुद्दा शेष रह जाता है। तो इस न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करना पड़ सकता है, इन न्यायाधिकरण द्वारा विचारणीय है। तदनुसार M.A. निपटारा किया गया।”

2.0 परियोजना विवरण

परियोजना क्षेत्र सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट क्र. 64/G/11, 64/12, 64G/14 का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र 21°22'0.70" उ. से 21°22'5.29" उ. अक्षांश और 81°39'24.92" पू. से 81°39'23.18" पू. रेखांश के बीच स्थित है जिसकी समुद्रतल से औसत उंचाई 276 मी. है।



स्रोत: SOI टोपोशीट
 स्थलाकृती मानचित्र (10 कि.मी. त्रिज्या)

प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

| ब्योरा | विवरण |
|------------------------------|---|
| परियोजना की लागत | विस्तारीत लागत : रू. 16 करोड मौजूदा लागत : रू. 6.72 करोड कुल मुल्य : रू. 22.72 करोड |
| कुल क्षेत्र | 1.46 हे. |
| जल की आवश्यकता | कुल: 20 KLD मौजूदा : 8 KLD प्रस्तावित : 12 KLD कुल वार्षिक जल आवश्यकता $20 \times 330 = 6600$ KLA. स्त्रोत: CSIDC शुन्य निस्सारण कायम रखा जाएगा |
| वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे | भट्टी से होनेवाला उत्सर्जन बैग फिल्टर के माध्यम से शोषित किया जाता है/किया जाएगा और 30 mg/Nm^3 के नीचे उत्सर्जन बनाये रखने हेतू एक चिमनी के माध्यम से उत्सर्जन बाहर निकाला जाएगा। |
| बिजली की आवश्यकता | कुल बिजली की आवश्यकता: 18 MW स्त्रोत: राज्यविद्युत महामंडल |
| श्रमिक | मौजूदा: 50 प्रस्तावित : 40 कुल: 90 |
| कार्य के दिन | 330 |

यह परियोजना मौजूदा सबमर्ज आर्क फर्नेस को बदलने तथा एक नई सबमर्ज आर्क फर्नेस प्रस्थापित करके मौजूदा फेरो अलॉयज धातु संयंत्र का विस्तार करने हेतू है।

उत्पादन परिदृश्य

| अनु क्र. | उत्पादन | मौजूदा उत्पादन (TPA) (1 x 6 MVA SAF) | विस्तारिकरण के पश्चात (TPA) (2 x 9 MVA SAF) |
|----------|------------------|---|--|
| 1. | फेरो मैगनीज या | 8000 | 38000 |
| 2. | सिलिको मैगनीज या | - | 30000 |
| 3. | पिग आयरन या | - | 38000 |
| 4. | फेरो सिलिकॉन | - | 14500 |


प्रक्रिया विवरण

मानक फेरो मैगनीज को लगभग 1700–1800°C पर पिघलाया जाता है। एक पारंपारिक सबमर्ज आर्क इलेक्ट्रीक फर्नेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीन कार्बन इलेक्ट्रोड, आंशिक रूप से प्रभारण में डुबे हुए, भट्टी की भीतरी विद्युतीय परिस्थिती बनाए रखने के लिए ऊर्ध्वगामी और अधोगामी गतिविधियों हेतु हाइड्रोलिक सिलेडरों पर आधारित होते हैं।

भट्टी का आकार सिलेड्रीकल (बेलनाकार) है और भट्टी की दिवारों पर फायरब्रिक्स, सिलिकॉन, कार्बाइड ईटों और कार्बन टैपिंग पेस्ट होता है। इसके अलावा पिघला धातु एवं स्लैग दोनो बाहर निकलने के लिए 120 डिग्री पर दो नल छेद दिए गये हैं। एक नल के छेद की दुरुस्ती के दौरान दुसरे नल छेद स्थिरता से कार्य करेगा। भट्टी में प्रभारण होने के पूर्व कच्चे माल की उचित अनुपात में अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है। मैनुअल पोकिंग रॉडस या स्ट्रोक कर कार का इस्तेमाल फर्नेस टॉप पर प्रभारण हेतु किया जाता है।


जैसे ही प्रभारण गलन क्षेत्र में प्रवेश करता है, ऑक्साइड और रिडक्टेंट की रासायनिक प्रक्रियाओ से बननेवाला मिश्र धातु, भारी होने के कारण धीरे धीरे तल पर बैठ जाता है। अपरिस्कृत धातु ऑक्साइड और फ्लैक्स द्वारा उत्पादित स्लैग, अपेक्षाकृत हल्का होने के कारण, मिश्र धातु की सतह पर तैरता है। नियमित अंतराल पर भट्टी की टैप किया जाता है। नल का छेद ऑक्सीजन लांसिंग पाइप द्वारा खोल दिया जाता है और टैपिंग कार्य पूरा होने के बाद, इसे भट्टी के प्लग से बंद किया जाता है। तरल सिलिको मैगनीज एवं स्लैग को C.I. पैन या सैण्ड मोल्ड में निकाला जाता है। C.I. पैन से अलॉयज

केक निकालो जाते है। इस प्रक्रिया में निर्मित स्लैग को ठंडा करने के बाद लॉरी द्वारा स्लैग डंप में ले जाया जाता है।



प्रक्रिया प्रवाह आरेख

“यदि बनाए निम्न कार्बन फेरो अलॉयज के उत्पादन के लिए समर्थन करता है। तो सबमर्ज आर्क से फेरो अलॉयज को टैपिंग के पश्चात, टैप किए गए फेरो अलॉयज को उपस्थित कार्बन कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार फिर से प्रक्रियाकृत किया जाता है।” प्रवाह आरेख निचे दिया गया है।



प्रक्रिया प्रवाह आरेख

3.0 वायु पर्यावरण :

परिवेशी वायु गुणवत्ता का परीक्षण आठ स्थलों का चयन प्रभावी वायु की दिशा के आधार पर किया गया, जो निम्न श्रेणी दर्शाता है।

| | |
|---------------------|------------------------------|
| PM ₁₀ : | 52 to 98 µg/m ³ . |
| PM _{2.5} : | 18 to 48 µg/m ³ |
| SO ₂ : | 6 to 24 µg/m ³ |
| NO _x : | 20 to 38 µg/m ³ |

| औद्योगिक क्षेत्र आवासीय, ग्रामीण क्षेत्र | PM ₁₀ | PM _{2.5} | SO ₂ | NO _x |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (CPCB मानक) | 100 µg/m ³ | 60 µg/m ³ | 80 µg/m ³ | 80 µg/m ³ |

PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ एवं NO_x की तीव्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रमाणक (NAAQ) द्वारा निर्धारित मर्यादा में सीमित पाई गई।

जल पर्यावरण :

सतह जल के आठ एवं भूजल के आठ कुल 16 जल नमूने संकलित एवं विश्लेषित किये गए। जल नमूनों का विश्लेषण जल नमूनों का परिक्षण, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन (APHA) के अनुसार किया गया है।

नमूने यह दर्शाते हैं कि भूजल एवं सतह जल की गुणवत्त पेयजल के लिए निर्धारित मानको (BIS 10500 – 2012) के भीतर है। केवल सतह जल में कोली फार्म की उच्च सांद्रता पाई गई, जो मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकती है।

ध्वनि पर्यावरण

मापी गई आठ स्थलों पर ध्वनी स्तर राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनी मानक स्तर के लिए MoEF&CC राजपत्र अधिसूचना में दिए गए रहवासी क्षेत्र के लिए 55.0 dB (A) या औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75.0 dB (A) में सीमित है।

| क्षेत्र संकेत | क्षेत्र मर्यादा | मर्यादा dB(A) Leq में | |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----|
| | | दिन | रात |
| A | औद्योगिक जोन | 75 | 70 |
| B | व्यवसायिक जोन | 65 | 55 |
| C | रहवासी जोन | 55 | 45 |
| D | शांत जोन ** | 50 | 40 |

** शांत जोन इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था एवं न्यायालय के आसपास का 100 मीटर तक क्षेत्र वाहनो का प्रयोग, लाउड स्पिकर एवं फटाका पर इन क्षेत्रो में प्रतिबंध होता है।

भूमि पर्यावरण

प्रस्तावित परियोजना स्थल के चारो ओर की विद्यमान मृदा अवस्था का आकलन करने हेतू अध्ययन क्षेत्र में चयन किये गए स्थलों पर मृदा के भौतिक रासायनिक गुणधर्मो के लिए चार मृदा नमूनों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया। मृदा नमूनों के गुणधर्मो के संबंधित मापदंडो के लिए विभिन्न गहराई के साथ तुलना की गई।

- मृदा गुणधर्मो का किया गया निरीक्षण पर मापदंडो के अनुसार की गई चर्चा
- मृदा नमूनों की बनावट सिल्ट क्ले लोम है।
- मृदा नमूनों का रंग पीला है।
- मृदा नमूनों में कार्बन पदार्थ 1.46 से 1.82 gm/cc की सीमा में हैं।
- मृदा नमूनों का pH मूल्य 6.52 से 7.11 की श्रेणी में है।
- मृदा नमूनों की चालकता 162 से 285 mmhos/cm कि मर्यादा में हैं।

4.0 पुर्वानुमानित प्रभाव एवं शमन उपाययोजना

वायु गुणवत्ता पर प्रभाव

निर्माण चरण

निर्माण चरण के दौरान, धूल प्रमुख प्रदूषक होगी, जो क्षेत्र विकास कार्य एवं सड़कों पर चलनेवाले वाहनो से होगी। इसके अलावा वाहनो के आवागमन में होनेवाली वृद्धी के

कारण NO_x और CO की तीव्रता में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।

शमन उपाय

- ❖ विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान धूल उत्सर्जन को नियंत्रित कराना आवश्यक है। यह ट्रक में लगे स्प्रिंकलर का उपयोग करके, दिन में कम से कम दो बार क्षेत्र में नियमित रूप से जल छिड़काव द्वारा किया जाएगा। धूल प्रवण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की नोज-मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ❖ निर्माण कार्य में उपयोग आनेवाली मशीनरी जैसे उत्खनन, ट्रक इत्यादि के कारण परिवेश NO_x और CO का स्तर बढ़ जाएगा। जब कि, इन प्रदूषकों के स्तर में नगण्य वृद्धि संभावित है क्योंकि इन मशीनों को अंतराल में संचालित किया जाएगा।
- ❖ उपकरण स्थिर नहीं है और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, जिससे एक ही स्थान पर उत्सर्जन की सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी। फिर भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम उत्सर्जन को कम करने हेतु गैसोलीन और डिजल से चलनेवाले निर्माण वाहनो का उपयोग किया जायें।
- ❖ निर्माण कार्य रात के समय नहीं किया जाएगा।

प्रक्रिया चरण

प्रस्तावित संयंत्र में विभिन्न ढेरों से निकलने वाले कण एवं सामग्री निर्वहन के कारण होने वाले फ्युजीटिव उत्सर्जन वायु के प्रमुख प्रदूषक है। कंपनी फिलहाल वायु उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु सभी उपाय कर रही है और प्रदूषण सांद्रता का निरीक्षण करने के लिए चिमनी से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेश वायु गुणवत्ता का नियमित रूप से निरीक्षण कर रही है। प्रस्तावित विस्तारिकरण के पश्चात भी यह जारी रहेंगा। प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषकों के स्रोतों के कारण वायु गुणवत्ता पर होनेवाले प्रभावों की पहचान की गई है।

I. चिमनी उत्सर्जन

प्रक्रिया के दौरान चिमनी से निकलने वाला उत्सर्जन पर्यावरण में फैलेंगा एवं अंततः स्रोतो से निर्दिष्ट वायु गुणवत्ता पर होनेवाले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की निचे दिये गये स्रोतो से परिकल्पना की जा सकती है।

इस प्रकरण में विभिन्न स्रोतो से उत्सर्जन की परिकल्पना की गई है, गैसिय प्रदूषकों का उचित फैलाव होने के लिए 32 मी. उंचाई की एक चिमनी उपलब्ध की गई है।

शमन उपाय

- ARC भट्टीयों में 50000 m³/Hr क्षमता के बैग फिल्टर लगाये जायेंगे।
- सभी आंतरिक सड़के पक्की है।
- गैसिय मापदंडो हेतू चिमनी रिमोट कैलिब्रेशन के साथ निरंतर उत्सर्जन निरिक्षण प्रणाली युक्त है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर फ्युजीटिव उत्सर्जन के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता का निरिक्षण किया जाएगा। संयंत्र परिसर में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानको से अधि नही होनी चाहिए।
- धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा संयंत्र में वाटर स्पिंकलर लगाये गये है।

II. फ्युजीटिव उत्सर्जन

फ्युजीटिव उत्सर्जन वायु प्रदूषक है जो वायु में निकाले जाते है। फ्युजीटिव धूल को परिभाषित किया जा सकता है जैसे निर्गम चिमनी से उत्सर्जित होने वाले कणिय पदार्थ को छोडकर "कोई भी ठोस कणिय पदार्थ जो प्राकृतिक या मानव निर्मित गतिविधियों से वायु रूप में तयार होते है"।

फयुजीटिव उत्सर्जन के स्रोत एवं शमन उपाय

संयंत्र में, फयुजीटिव धुन प्रमुख रूप से निम्नलिखित से उत्सर्जित होता है।

परिवहन : सड़को पर भारी ट्रको/वाहनो आवागमन से पर्याप्त मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। यह सड़को पर स्थित धूल के कारण होता है जो हवा द्वारा दूर ले जाया जाता है।

कच्चा माल हस्तांतरण : कच्चा माल जैसे मैगनीज अयस्क, डोलोमाइट यदि जब परियोजना परिसर के भीतर स्थानांतरित किया जाता है तब फयुजीटिव धूल का उत्सर्जन होता है।

कच्ची सामग्री एवं तैयार उत्पादन का भंडारण : हवा द्वारा धूल उत्पन्न हो सकती है। तथापी, इस टालने के लिए कच्ची सामग्री को आच्छादित शेड में रखा जाता है/जाएगा।

फयुजीटिव उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय

- वाहनो के आवागमन से निर्मित फयुजीटिव धूल उत्सर्जन से बचाने के लिए सभी आंतरिक सड़को को पक्की किया जाएगा।
- संयंत्र परिसर में गती मर्यादा नियंत्रण में होगी।
- सभी परिवहन वाहनो के पास एक वैद्य PUC (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाणपत्र है/होगा।
- वाहनों का प्रवाह उचित बनाए रखा जा रहा है/रहेंगा
- उचित यातायात प्रबंधन किया जा रहा है/किया जाएगा।
- वाहनो की उचित सर्विसिंग और देखरेख कि जा रही है/ की जाएगी।
- फयुजीटिव उत्सर्जन के संपर्क में आनेवाले सभी कामगारों को उचित धूल मास्क दिए जा रहे है/प्रदान किए जाएगे।
- संयंत्र क्षेत्र में पर्याप्त हरित पट्टा विकसित किया जाएगा। हरित पट्टा धुल के कणो को स्थिर होने में एक सतह के रूप में कार्य करता है और उसी प्रकार वायु में कणो की सांद्रता को कम करता है।

-
- संयंत्र में फ्युजीटिव उत्सर्जन को कम करने के और परिवेशी वायु गुणवत्ता CPCB मानक की मर्यादा के भीतर बनाए रखने के लिए जल छिड़काव किया जा रहा है/किया जाएगा, जिससे विभिन्न प्रदूषको के उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा जा सके।
 - परिवेशी वायु गुणवत्ता का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि विभिन्न प्रदूषको के उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा जा सके।
 - फ्युजीटिव उत्सर्जन स्रोतो की पहचान कर उनका नियमित आधार पर निरीक्षण किया जा रहा है।

ध्वनि स्तर

प्रक्रिया दौरान, ध्वनि उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोत क्रशिंग मिल, स्वयं भरन विभाग, विद्युत मोटर, इत्यादि है। ये सभी स्रोत एक दूसरे से दूरी पर स्थित होंगे। किसी भी परिस्थिती में इन स्रोतो मे से किसी भी स्रोत से होने वाली ध्वनि 85 dB(A) से अधिक नहीं होगी।

परियोजना क्षेत्र में निर्मित होने वाली ध्वनी स्तर प्रस्तावित संयंत्र तक सिमित होगा, ध्वनि स्तर का प्रभाव आसपास नगण्य होगा।

जल पर होनेवाले प्रभाव

परियोजना में कुल जल की आवश्यकता लगभग 20 KLD होगी। परियोजना के लिए आवश्यक जल CSIDC से प्राप्त किया जाएगा।

मेटलिक अलॉयज अपशिष्ट जल का "शुन्य निर्वाहन" करने के लिए करारबद्ध है।

1.4 KLD औद्योगिक अपशिष्ट जल का निस्सारण सेटलिंग टाकी में किया जाएगा।

2.4 KLD घरेलू अपशिष्ट जल को पर्याप्त रूप से संरचित किए गए STP में ले जाया जाएगा।

प्रक्रियाकृत किया गया अपशिष्ट जल पुनर्चक्रित कर हरित पट्टा विकास में उपयोग किया जाएगा।

स्थलीय परिस्थितिकी पर होनेवाले प्रभाव

संयंत्र क्षेत्र के 10 कि.मी. के भीतर कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और संरक्षित वन नहीं है। जैव विधिता मुल्यांकन के दौरान कोर एवं बफर झोन में सारणी-1 की प्रजातियों का दर्ज नहीं है। यदि उचित देखभल नहीं की गई तो संयंत्र के संचालन के कारण क्षेत्र के जैविक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है।

ठोस अपशिष्ट उत्पादन

धातु अलॉयज से ठोस अपशिष्ट उत्पादन ओर होनेवाला उपयो तालिका के रूप में निचे दिया गया है।

तालिका:मौजूदा एवं प्रस्तावित संयंत्र के हेतू ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं व्यवस्थापन

| ठोस अपशिष्ट उत्पादन | मात्रा (TPA) | व्यवस्थापन की पध्दती |
|---------------------|--------------|---|
| फेरो मैगनीज स्लैग | 32300 | सिलिको मैगनीज के निर्माण में फेरो मैगनीज स्लैग का उपयोग किया जाएगा। |
| सिलिको मैगनीज स्लैग | 30000 | जमिन भरने में सिलिको मैगनीज स्लैग का उपयोग किया जाएगा। |
| पिग आयरन स्लैग | 30400 | कार्य क्षेत्र को सख्त करने, सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा/बेचा जाएगा। |

सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव

मेटलिक अलॉयज 50 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है और 40 लोगों को प्रस्थावित विस्तारिकण में रोजगार प्रदान करेगा। स्थानीय व्यक्तियों को योग्यता एवं तकनीकी दक्षता के अनुसार रोजगार में प्राधान्यता दी गई है। प्रस्थावित परियोजना से निर्मित होने वाले प्रतिकूल प्रभावो एवं लोगों मे उत्पन्न होनेवाले आशंकाओ को कम करने, परियोजना सुचारू रूप सके आरंभ होने एवं संचालित होने के लिए एक प्रभावशाली EMP तैयार करना अनिवार्य है।

5.0 पर्यावरणीय परिक्षण कार्यक्रम

मेसर्स मेटालिक अलॉयज के प्रस्तावित परियोजना में प्रतिष्ठापित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के कार्य मूल्यांकन करने हेतु पर्यावरणीय परिक्षण अत्यावश्यक है। प्रस्तावित विस्तारिकरण परियोजना फेरो अलॉयज के उत्पादन का विस्तारिकरण हैं। परिक्षण स्थलों के साथ पर्यावरणीय घटकों के नमूना संकलन एवं विश्लेषण छत्तीसगढ़ पर्यावरणीय संरक्षण मंडल द्वारा स्विकृत मुद्दों के अनुसार किया जाएगा।

मेसर्स मेटालिक अलॉयज द्वारा प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन MoEF&CC द्वारा स्विकृत प्रयोगशाला के माध्यम से नियमित आधार पर पर्यावरणीय परीक्षण किया जाएगा इसलिए, अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रदूषकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय घटकों का नियमित परिक्षण कार्य आवश्यक है।

परीक्षण के उद्देश्य

- प्रदूषकों के रूप में जिनकी पहचान की गई है, उन प्राचलों की दिशा में अनुगमन करना।
- नियंत्रण साधनों की क्षमता की जाँच करना एवं आकलन करना
- प्रस्तावित सुविधाओं के कारण जो चिंताजनक नहीं ऐसे प्रभाव आकलन अध्ययन में प्राप्त प्राचलों के अतिरिक्त अन्य प्राचल सुनिश्चित करना।
- विकास से संबंधित धारणाओं की जाँच करना एवं आंशिक आवश्यक उपाय योजनाओं के अनुसार विचलन की जानकारी प्राप्त करना।

नियमित परिक्षण हेतु आवश्यक घटक निचे दिये गए हैं।

- वायु गुणवत्ता
- जल एवं अपशिष्ट जल गुणवत्ता
- ध्वनि स्तर
- मृदा गुणवत्ता

6.0 पूँजी लागत

परियोजना की कुल लागत रू. 16 करोड है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यान्वयन हेतु अंदाजपत्रक

EMP हेतु अंदाजित प्रावधान रू. 160 लाख होगा एवं आवर्ती लागत रू. 16 लाख/वार्षिक होगा।

7.0 CER योजना

निम्नलिखित गावों में विभिन्न CER उपक्रमों को मेसर्स मेटैलिक अलॉयज ने किया है।

- सिलतारा
- सोन्ध्रा
- धानेली
- टांडा

जनसुनावनी के समय उपस्थित मुद्दों के आधार पर कार्यालयीन ज्ञापन 22-65/2017-IA.III दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के अनुसार अंतिम EIA रिपोर्ट में CER का विवरण दिया गया है।

8.0 व्यावसायिक स्वास्थ्य उपाययोजना

निर्माण, संचालन एवं रखरखाव दोनों चरणों के दौरान व्यावसायिक आरोग्य पर ध्यान देना आवश्यक है। जबकि, उपरोक्त चरणों में परिणाम और विविधता दोनों में समस्या भिन्न होती है। किसी भी व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए परियोजना की संरचना चरण में शमन उपायों के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। विभिन्न गतिविधियों एवं जोखिम कार्य क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक जोखिम शमन उपायों के अलावा, कर्मचारियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मौजूदा प्रशासनिक नियंत्रण उपाय किए जाएंगे।

- सभी कर्मचारियों को EHS नितियों कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- कर्मचारियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परिक्षण
- आग लगने की स्थिति के दौरान सभी कर्मचारियों को प्रथमोपचार एवं आपत्कालिन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

-
- सुरक्षा एवं आपातकालिन तत्परता में कर्मचारियों की तैयारी एवं प्रशिक्षण।
 - व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों का उपयोग का अनुपालन
 - संयंत्र क्षेत्र में सुरक्षा डिसप्ले चिन्हांकन फलक

9.0 पर्यावरण प्रबंधन

मेसर्स मेटैलिक अलॉयज के प्रबंधक विद्यमान परियोजना में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित एवं कम करने हेतु सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं, और प्रस्थापित विस्तारिकरण परियोजना में यह उसी प्रकार बनाए रखेंगे। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में प्रक्रिया फेज में परियोजना प्रवर्तक द्वारा प्रस्थापित पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के सभी घटकों का समावेश होगा। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) नई दिल्ली, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मार्गदर्शन के अनुसार परियोजना पश्चात परिक्षण स्तर पश्चात के दौरान लेनेवाले सभी योजनाओं का विस्तृत वर्णन है।

10.0 निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित विस्तारिकरण परियोजना के कारण बफर झोन में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना का, सामाजिक-आर्थिक विकास, मुलभूत सुविधा जैसे चिकित्सा, शिक्षा इत्यादी का सुदृढीकरण इत्यादि में सहयोग रहेगा। "स्थायी विकास" ध्यान में रखते हुए परियोजना कार्यान्वित रहेंगी।

उसी प्रकार, प्रबंधन ने परिसर के स्थानिक समुदाय के सामाजिक आर्थिक दर्जा की सुधारना करने की दृष्टि से सहकार्य करने हेतु करारबद्ध है।

पर्यावरण परिक्षण पर्याप्त और प्रभावशाली पर्यावरण योजना कार्यान्वयन प्रबंधन के लिए एक सफल साधन है। यदि आवश्यक हो पर्यावरण परिक्षण परिणामों के आधार पर मध्य काल सुधार के लिए प्रबंधन को मदद करता है। समुदाय पर ऊपर सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। इसलिए, अनुरोध किया है कि आगामी परियोजना हेतु पर्यावरण मंजूरी स्वीकृती दी जाये।